महिला शिक्षण विहार-झालावाड़

क्र. सं.	योजना का नाम	महिला शिक्षण विहार, झालावाड़
1.	योजना का परिचय	राज्य के 15 से 35 आयु वर्ग के वंचित वर्ग विधवा, आदिवासी एवं दूरस्थ अंचलों की महिलाओं को 5 वर्ष तक आवासीय विधालय के माध्यम से कक्षा 10 तक की शिक्षा के साथ-साथ व्यवसायिक हूनर भी दिया जाता है, जिससे महिलाऐं सशक्त होकर स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनती हैं। यह शिक्षण विहार जिला झालावाड़ में संचालित है।
2.	प्रारम्भ होने का वर्ष	महिला शिक्षण विहार वर्ष 1997 से झालावाड़ जिलें में लोक जुम्बिश परियोजना के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा था। वर्ष 2005-06 में उक्त महिला शिक्षण विहार का संचालन करने का दायित्व राज्य सरकार द्वारा निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा को सौपा गया।
3.	लाभान्वित वर्ग	15 से 35 आयुवर्ग की महिलाएं
4.	पात्रता	15 से 35 आयुवर्ग की वंचित वर्ग विधवा, आदिवासी एवं दूरस्थ अंचलो की महिलायें जो पढ़-लिखकर आत्मनिर्भर होना चाहती हैं।
5.	देय सुविधाएं	आवास, भोजन, दो ड्रेस, एवं तीन वर्ष तक के आयु के बच्चे को साथ रखने की सुविधा।
6.	आवेदन का तरीका	प्रवेश जुलाई माह में प्रारम्भ होने की सूचना समाचार पत्रो में दी जाती है। जिले में जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी, प्रेरको एवं ब्लॉक समन्वयक के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं को चिन्हित कर महिला शिक्षण विहार झालावाड़ में प्रवेश के लिए प्रेरित किया जाता है।
7.	आवेदन कहां किया जावे	• प्राचार्य महिला शिक्षण विहार, झालावाड • जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी झालावाड़
8.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	• 15 से 35 आयुवर्ग की महिलाएं • शिक्षण अवधि के दौरान महिला शिक्षण विहार में रहना।
9.	संम्पर्क सूत्र	प्राचार्य महिला शिक्षण विहार झालावाड़, संबंधित जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, राज्य स्तर पर निदेशक साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, राजस्थान, जयपुरा। टे.फो. नं. 0141-2708836 फैक्स- 2709025, 2701445 E-mail- dir-lit-rj@nic.in, www.rajliteracy.org